

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक-
सेवा में

530 / 14-1(FP/UP/Road/121197/2021)दिनांक, मुजफ्फरनगर,

22.08.2022 ।

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,

सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-222.98 हे० संरक्षित वन भूमि एवं के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में । (FP/UP/Road/121197/2021)

संदर्भ:-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8वी०/यू०पी०/06/221/2021/एफ० सी० /321 दिनांक-08.08.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ का पत्र संख्या-2465/1-सी० दिनांक-18.08.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक-625/13-1 दिनांक-22.08.2022 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-222.98 हे० संरक्षित वन भूमि एवं के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-08.08.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक-16.08.2022 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-22.08.2022 द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक के पत्र दिनांक-21.09.2021 के क्रम में बिन्दु संख्या 1 एवं 2 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-18.08.2022 द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक-04.01.2022 के बिन्दु संख्या-1.2 व 3 से संबंधित सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है-

क-भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक-21.09.2021 से संबंधित बिन्दुओं की आख्या -

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या / निराकरण
1	2	3
1	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one patch completely and in four patches partially) has been observed on (Sl. 1,3,5,8,11) on the proposed CA land ara. This needs clarification/rectification.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा अपने पत्रांक-625/13-1 दिनांक-22.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी ललितपुर एवं तहसीलदार ललितपुर (राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम) द्वारा दिनांक-18.08.2022 से 19.08.2022 तक संयुक्त सर्वे कराया गया उक्त प्रकरण में विषयांकित सी०ए० भूमि, जो ललितपुर जनपद से संबंधित है, उसमें कहीं भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है। इस सम्बन्ध में गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	As per the SOI toposheet, total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर ने अपने पत्र दिनांक-22.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि 1-ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक-19.05.1954 में धारा -4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-4665/1-2-20(55)-72 दिनांक-09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा-1848.99 एकड़ की धारा-20 हो चुका है एवं गाटा संख्या-303 रकबा-4.9360 हे० वन भूमि टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-26/1 रकबा 30.20 हे०, 27/1 रकबा 90.50 हे० एवं 302/2 रकबा 2.240 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2-ग्राम जाखलौन के बन्दरगुडा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक-19.05.1954 के अन्तर्गत धारा-4 हेतु 1438.31 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-23 (4)-207/14-बी-68 दिनांक-24.09.1968 के अनुसार

		उक्त सम्पूर्ण रकवा 1438.31 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-606 रकवा 20.30 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3-ग्राम बघौरा में विज्ञप्ति संख्या-3445/14-732 दिनांक-04.08.1954 में धारा-4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-23(4)-75/14-बी-68 दिनांक-24.05.1968 के अनुसार कुल रकवा-334.26 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-810मि० रकवा 8.282 हे० एवं 817 रकवा 1.238 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI Topo Sheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस सम्वन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर का पत्रांक-625/13-1 दिनांक-22.08.2022 संलग्न है। (संलग्नक-2)
ख	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक-04.01.2022 से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में आख्या-	
	आपत्ति	आख्या/ निराकरण
1	2	3
1	Change in the alignment due to realignment of road to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal and subsequently change in the area of the proposal (if required) is required to be submitted.	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
2	Change in the number of feeling of trees is required to be submitted.	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
3	Undertaking of the user agency for compensating for existing structures, nureseries etc., is required to be submitted.	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-08.08.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों की आख्या उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कन्हैया प्रतेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या 530 / 14-1(FP/UP/Road/121197/2021) दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ, गाजियाबाद एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी ललितपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-22.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, डी-टी-एल-एल-एल लोक निर्माण, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-18.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया प्रतेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम मंज, सेक्टर-14, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-14, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in



पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी. 321

दिनांक: 08.08.2022

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव (वन), उ०प्र० शासन का पत्रांक सं०-225/81-2-2021-800(123)/2021, लखनऊ, दिनांक 07.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021, लखनऊ, दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.09.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ माँगी गई थीं जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके—

1. As per the Google earth imageries agriculture activity (in one patch completely and in four patches partially) has been observed on (Sl. 1,3,5,8,11) on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification.
2. As per the SOI toposheet, total six patches (Four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.

साथ ही इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.01.2022 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गयी निम्नलिखित जानकारी/सूचनाएँ भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें—

1. Change in the alignment due to realignment of road to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal and subsequently change in the area of the proposal (if required) is required to be submitted.
2. Change in the number of felling of trees is required to be submitted.
3. Undertaking of the user agency for compensating for existing structures, nurseries etc., is required to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

राजि-२६६

२४६५/१५४

दिनांक १८/८/२२

पत्रांक
सेवा में,

✓ प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि०मी० (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/121197/2021)

- संदर्भ:-1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-08 वी/सू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/321 दिनांक 08.08.2022
2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर का पत्रांक 483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 16.08.2022

उपरोक्त विषयक चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग पर वृक्षो/पौधों के पातन के अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में सम्बन्धित पत्रों के द्वारा वांछित बिन्दुओं पर सूचना टेबुलर फार्म में निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत है:-

क्र०सं०	वांछित सूचना के बिन्दु	अनुपालन आख्या
1.	Change in the alignment due to realignment of road to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal and subsequently change in the area of the proposal (if required) is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं (संलग्नक-1)
2.	Chainage in the number of feeling of trees is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं (संलग्नक-2)
3.	Undertaking of the user agency for compensating for existing structures, nurseries etc. is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं (संलग्नक-3)
4.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one patch completely and in four patches partially) has been observed on (SI 1,3,5,8,11) on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification	प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर से आख्या वांछित है। इस कार्यालय के पत्रांक 187/कैम्प दिनांक 17.08.2022 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 16.08.2022 द्वारा उनको निर्देशित किया गया है। आख्या प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी।
5.	As per the SOI toposheet, Total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification	

संलग्न:- 1 से 3 तक संलग्नक 07 प्रतियों में।

(एस०के० सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, मेरठ।

पत्रांक : / दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ, गाजियाबाद एवं मिर्जापुर।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी ललितपुर।
- जिलाधिकारी महोदय मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो०नि०वि०, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ।

(एस०के० सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, मेरठ।

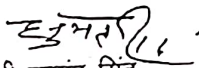
मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (कांवेड गां) में प्रयुक्त वन क्षेत्र के बदले ललितपुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्तता, अतिक्रमण ज्ञात करने हेतु गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं०-8वीं/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ.सी./३२१ दिनांक ०८.०८.२०२२ एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की कार्यालय पत्र सं०-४८३/१४-१ (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक १६.०८.२०२२ के अनुक्रम में दिनांक १८.०८.२०२२ से १९.०८.२०२२ तक धौजरी, कपासी, जाखलौन, रेंज ललितपुर स्थित गैर वन भूमि हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर की पत्र सं०-६०५/१३-१, दिनांक १८.०८.२०२२ द्वारा क्र०सं०-०१ से ०८ में उल्लिखित विभिन्न गाटा संख्याओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

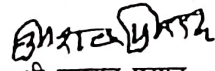
प्रस्तावित गैर वन भूमि के गाटा संख्याओं के वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता ज्ञात करने हेतु, उक्त भूमियों के स्थलीय निरीक्षण में गाटावार भूमियों में उपलब्ध मृदा गहराई (Soil depth) का सेमपल सर्वे के रूप में मृदा संकाय कार्य करके देखा गया, उक्त भूमियों का Terrain, Slope, Gps Polygon के आधार पर गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से अध्ययन कर प्रस्तावित भूमियों में उपलब्ध मृदा संकाय कार्य की संभावनाओं के दृष्टगत क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो के अनुसार वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता सम्वन्धी स्थलीय निरीक्षण में स्थित निम्न प्रकार पायी गयी।

क्र० सं०	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम एवं गाटा संख्या		क्षेत्रफल (हे०मे)	वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता	अभ्युक्ति
		ग्राम	गाटा सं०			
1-	ललितपुर	धौजरी	27	90.50	अनुपयुक्त	उक्त भूमि पथरीली, चट्टान युक्त वोल्डर मिश्रित होने के कारण क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
2-	ललितपुर	धौजरी	26	30.20	अनुपयुक्त	
3-	ललितपुर	धौजरी	302/2	2.24	अनुपयुक्त	
4-	ललितपुर	कपासी	251/4	16.00	उपयुक्त	भूमि Soildepth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते हैं।
5-	ललितपुर	जाखलौन	606/4	20.30	अनुपयुक्त	प्रस्तावित पठारी चट्टान युक्त पहाड़ी के रूप में है। जिनका Slope अत्यधिक होने के कारण एवं पथरीली चट्टान युक्त मिट्टी क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि अनुपयुक्त है। पर्याप्त Root Stock उपलब्ध है। जिसमें ए०एन०आर० एवं कल्चर कार्य किये जा सकते हैं।
6-	ललितपुर	जाखलौन	532/1	9.74	अनुपयुक्त	
7-	ललितपुर	जाखलौन	523	2.40	अनुपयुक्त	
8-	ललितपुर	जाखलौन	752 मि०	18.00	अनुपयुक्त	

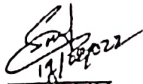
अतः उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवादित रहित है।


श्री हनुमंत सिंह
धौरा वीट/वन रक्षक


श्री अशोक कुमार पुरोहित
सैपुरा सेक्शन/वन दरोगा


श्री उमराव प्रसाद
वन रक्षक


क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर


तहसीलदार
ललितपुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

DAVIKKY_2013(Signoff_Letter_Signo 2022

(कन्हैया कुशेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक: 625

/13-1

दिनांक, ललितपुर

22 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गुजपफरनगर।

विषय:- चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी0 सं0-51.910 से 163.40 तक जनपद गुजपफरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी गैर वानिकी भूमि के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी0 सं0-51.910 से 163.40 तक जनपद गुजपफरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत 226.00 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से कमियाँ/आपत्तियाँ लगायी गयी हैं, जिनमें से बिन्दु संख्या-04 व 05 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या-04 एवं 05 का निराकरण कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या/निराकरण
1.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one atch completely and in four patches partially) has been observed on (SI 1, 3, 5, 8, 11) on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification.	क्षेत्रीय वन अधिकारी ललितपुर एवं तहसीलदार ललितपुर (राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम) द्वारा दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक संयुक्त सर्वे कराया गया उक्त प्रकरण में विषयांकित CA भूमि, जो ललितपुर जनपद से संबंधित है, उसमें कहीं भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।
2.	As per the SOI toposheet, total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.	1. ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति सं0-2097/14 दिनांक 19.05.1954 में धारा-4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं0-4665/1-2-20 (55) -72 दिनांक 09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1848.99 एकड़ का धारा-20 हो चुका है एवं गाटा सं0-303 रकबा 4.9360 हे0 वन भूमि टेहरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-26/1 रकबा 30.20 हे0, 27/1 रकबा 90.50 हे0 एवं 302/2 रकबा 2.240 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गुजपफरनगर

	toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2. ग्राम जाखलौन के बन्दरगुढ़ा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक 19.05.1954 के अन्तर्गत धारा-4 हेतु 1438.31 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिराके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-23(4)-207/14-बी-68 दिनांक 24.09.1968 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1438.31 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-606 रकबा 20.30 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3. ग्राम वघौरा में विज्ञप्ति संख्या-3445/14-732 दिनांक 04.08.1954 में धारा-4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं०-23(4)-75/14-बी-68 दिनांक 24.05.1968 के अनुसार कुल रकबा 334.26 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-810मि० रकबा 8.282 हे० एवं 817 रकबा 1.238 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।
--	--

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- स्थलीय निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक 625 अ/सम दिनांक 22/08/22

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र०, झांसी।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर एवं बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

CIP 445

(कन्हैया प्रिंटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक: 625

/13-1

दिनांक, ललितपुर

११ अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- चौ० चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० सं०-51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी गैर वानिकी भूमि के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/221/2021/एफ०सी०/321 दिनांक 08.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चौ० चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० सं०-51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत 226.00 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से कमियाँ/आपत्तियाँ लगायी गयी हैं, जिनमें से बिन्दु संख्या-04 व 05 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या-04 एवं 05 का निराकरण कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या/निराकरण
1.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one atch completely and in four patches partially) has been observed on (SI 1, 3, 5, 8, 11) on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification.	क्षेत्रीय वन अधिकारी ललितपुर एवं तहसीलदार ललितपुर (राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम) द्वारा दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक संयुक्त सर्वे कराया गया उक्त प्रकरण में विषयांकित CA भूमि, जो ललितपुर जनपद से संबंधित है, उसमें कहीं भी कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।
2.	As per the SOI toposheet, total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.	1. ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति सं०-2097/14 दिनांक 19.05.1954 में धारा-4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं०-4665/1-2-20 (55) -72 दिनांक 09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1848.99 एकड़ का धारा-20 हो चुका है एवं गाटा सं०-303 रकबा 4.9360 हे० वन भूमि टेहरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-26/1 रकबा 30.20 हे०, 27/1 रकबा 90.50 हे० एवं 302/2 रकबा 2.240 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI

	toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2. ग्राम जाखलौन के बन्दरगुड़ा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक 19.05.1954 के अन्तर्गत धारा-4 हेतु 1438.31 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-23(4)-207/14-बी-68 दिनांक 24.09.1968 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1438.31 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-606 रकबा 20.30 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3. ग्राम वधौरा में विज्ञप्ति संख्या-3445/14-732 दिनांक 04.08.1954 में धारा-4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं०-23(4)-75/14-बी-68 दिनांक 24.05.1968 के अनुसार कुल रकबा 334.26 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-810 मि० रकबा 8.282 हे० एवं 817 रकबा 1.238 हे० गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।
--	--

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- स्थलीय निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक 625 अ/सम दिनांक 22/08/22
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जौन, उ०प्र०, झांसी।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर एवं बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

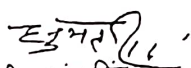
मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (कांठ गांभी) में प्रयुक्त वन क्षेत्र के बदले ललितपुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्तता, अतिक्रमण ज्ञात करने हेतु गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं०-8वीं/यूपी०/०६/२२१/२०२१/एफ.सी./३२१ दिनांक ०८.०८.२०२२ एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की कार्यालय पत्र सं०-४८३/१४-१ (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक १६.०८.२०२२ के अनुक्रम में दिनांक १८.०८.२०२२ से १९.०८.२०२२ तक धौजरी, कपासी, जाखलौन, रेंज ललितपुर स्थित गैर वन भूमि हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर की पत्र सं०-६०५/१३-१, दिनांक १०.०८.२०२२ द्वारा क्र०सं०-०१ से ०८ में उल्लिखित विभिन्न गाटा संख्याओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

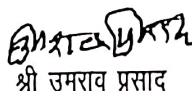
प्रस्तावित गैर वन भूमि के गाटा संख्याओं के वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता ज्ञात करने हेतु उक्त भूमियों के स्थलीय निरीक्षण में गाटावार भूमियों में उपलब्ध मृदा गहराई (Soil depth) का सेमपल सर्वे के रूप में मृदा संकाय कार्य करके देखा गया, उक्त भूमियों का Terrain, Slope, Gps Polygon के आधार पर गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से अध्ययन कर प्रस्तावित भूमियों में उपलब्ध मृदा संकाय कार्य की संभावनाओं के दृष्टगत क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो के अनुसार वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण में स्थित निम्न प्रकार पायी गयी।

क्र० सं०	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम एवं गाटा संख्या		क्षेत्रफल (हे०मे)	वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता	अभ्युक्ति
		ग्राम	गाटा सं०			
१-	ललितपुर	धौजरी	२७	९०.५०	अनुपयुक्त	उक्त भूमि पथरीली, चट्टान युक्त बोल्टर मिश्रित होने के कारण क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
२-	ललितपुर	धौजरी	२६	३०.२०	अनुपयुक्त	
३-	ललितपुर	धौजरी	३०२/२	२.२४	अनुपयुक्त	
४-	ललितपुर	कपासी	२५१/४	१६.००	उपयुक्त	भूमि Soildepth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते हैं।
५-	ललितपुर	जाखलौन	६०६/४	२०.३०	अनुपयुक्त	प्रस्तावित पठारी चट्टान युक्त पहाड़ी के रूप में है। जिनका Slope अत्यधिक होने के कारण एवं पथरीली चट्टान युक्त मिट्टी क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि अनुपयुक्त है। पर्याप्त Root Stock उपलब्ध है। जिसमें ए०एन०आर० एवं कल्चर कार्य किये जा सकते हैं।
६-	ललितपुर	जाखलौन	५३२/१	९.७४	अनुपयुक्त	
७-	ललितपुर	जाखलौन	५२३	२.४०	अनुपयुक्त	
८-	ललितपुर	जाखलौन	७५२ मि०	१८.००	अनुपयुक्त	

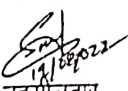
अतः उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवादित रहित है।


श्री हनुमंत सिंह
धौरा वीट/वन रक्षक


श्री अशोक कुमार पुरोहित
सैपुरा सेक्शन/वन दरोगा


श्री उमराव प्रसाद
वन रक्षक


क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर


तहसीलदार
ललितपुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

पत्रांक 2465/JC

दिनांक.....18.1.22

प्रमाण-पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि०मी० (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-08वी/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/३२१ दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग के संरेखण में कोई परिवर्तन नहीं है। उक्त मार्ग को मूल प्रस्तावित संरेखण अपर गंगा कैनाल की दाहिनी पटरी पर डोले के टो से 7.50 मी० की दूरी पर नहर के समानांतर ही बनाया जायेगा।

(सोनिया शर्मा)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(एस०के० सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(कन्हैया लाल)
प्रान्तीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

पत्रांक

24-6501/JC

दिनांक...18/08/22

प्रमाण-पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि०मी० (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-08वी/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/321 दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक मार्ग का निर्माण कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ उ०प्र० से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार अपर गंगा नहर की दाहिनी पटरी पर नहर के डोले के टो से 7.50 मी० दूरी पर नहर के समानांतर संरेखण पर कराया जायेगा। उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संरेखण पर वन विभाग द्वारा पूर्व में मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों का पातन सूचित किया गया था। पूर्व संरेखण पर ही वर्तमान में मार्ग प्रस्तावित होने के कारण वृक्षों के पातन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।

(सोनिया शर्मा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(एस०के० सारस्वत)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(कन्हैया प्रसाद)

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

संलग्न-५

पत्रांक

2465(1)/JC

दिनांक.....18/08/22

प्रमाण-पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंगा नहर की दायी पटरी) 111.490 कि०मी० (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-08वी/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/321 दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक मार्ग का निर्माण अपर गंगा नहर की दाहिनी पटरी पर डोले की टो से 7.50 मी० दूरी पर नहर के समानांतर संरेखण पर कराया जायेगा। उक्त संरेखण की सम्पूर्ण लम्बाई में पड़ने वाले समस्त सिविल पक्की संरचना, नर्सरी एवं अन्य भवन की क्षतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी।

(सोनिया शर्मा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(एस०के० सारस्वत)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

(कन्हैया प्रोटेस)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर